न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

प्र.क /2017–18/पुनर्विलोकन याचिका

पुनर्विलोकन – 3953/2018/ग्वालियर/भू.रा.

1 नेतराम पुत्र स्व0 श्री छीतरिया निवासी सेंथरी का पुरा जिला ग्वालियर हाल निवासी कुम्हरपुरा मुरार ग्वालियर

2 रामकिशन पुत्र स्व0 श्री नैनसुल जाति जाटव निवासी सेंथरी का पुरा ग्वालियर

——प्रार्थीगण

बनाम

1 ट्रस्ट मंदिर श्री राम जानकी जी गंगादास की बडी शाला माफी देवस्थान अतिये सरकार देवस्थान, महन्त रामेसवक दास लक्ष्मीबाई कॉलोनी लश्कर ग्वालियर

2 म0प्र0शासन

——फॉर्मल पक्षकार

<u>पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (पी.बी.आर) द्वारा निराकृत प्रकरण कमांक 1482/2018/निगरानी (पी.बी.आर) द्वारा विरूद्ध पारित अंतिम आदेश दिनांक 03.05.2018 से व्यथित होकर के</u>

माननीय न्यायालय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुनर्वालोकन-3953/2018/ग्वालियर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–7–18	आवेदक की ओर रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1482-पीबीआर/2018 में पारित आदेश दिनांक 03-05-2018 के विरूद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पर विचार किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :- 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्यका पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके परीक्षण से उक्त आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हो । अध्यक्ष	